तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/6024/2005/नागौर आईदान बनाम नारायणराम मृतक जरिये वारिसान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण /वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता स्व0सूखाराम के कजा काश्त व खातेदारी के खेत ख0न0 193 रकबा 31 बीघा18 बिस्वा व ख0न0 197 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को कभी काश्त नहीं किया लेकिन पैमाइस के दौरान बंदोबस्त कर्मचारियों ने विवादित आराजी का इन्द्राज वादीगण के पिता स्व. सुखाराम के साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम भी कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.97 से दावा यह कहते हुये खारिज कर दिया कि वादीगण अपने वाद पत्र में इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार साबित नहीं होता है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण/प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/6024/2005/नागौर आईदान बनाम नारायणराम मृतक जरिये वारिसान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.04 प्रार्थीगण की अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम तथा विधिक तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण/वादीगण के पिता सुखाराम व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता चोखाराम सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उनका भतीजा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में गलती से इनका नाम भी खातेदारी में दर्ज हो गया। जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। फिर भी विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के अभाव में प्रार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त आधार पर ही अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण की अपील को भी खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण/प्रार्थीगण की स्वीकृति व शपथ कथन को नहीं मानने का कोई कारण नहीं दिया तथा साक्ष्यों पर विचार किये बगैर ही अपना निर्णय पारित कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रखने में भारी भूल की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने अपने तथ्यों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/6024/2005/नागौर आईदान बनाम नारायणराम मृतक जरिये वारिसान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये तथा भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान जारी किया गया पर्चा आदि दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने भू प्रबन्ध कार्यवाही संवत 2020 से पूर्व की कोई दस्तावेज साक्ष्य व सबूत के रूप में पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण प्रकरण में रिलीफ प्राप्त करने का हकदार हेाता हो। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2050–53 के आधार पर नारायण, सुखाराम व चोखाराम का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है। बाद में जरिय नामांतरकरण सुखाराम व चोखाराम के कायम मुकाम उनकी जगह दर्ज हो गये। उक्त आराजी पुश्तैनी होने बाबत कोई रिकार्ड पर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त आधार पर दोनों न्यायालयों ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि – ‘‘ जमाबंदी संवत 2050–53 के अनुसार नारायण, सुखाराम व चोखाराम का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है। बाद में जरिय नामांतरकरण सुखाराम व चोखाराम के कायम मुकाम उनकी जगह दर्ज हो गये। यह आराजी पुश्तैनी होने बाबत कोई रिकार्ड पर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मौखिक बयानों के अतिरिक्त कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, जिससे अपीलांट का एक मात्र कब्जा साबित हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/6024/2005/नागौर आईदान बनाम नारायणराम मृतक जरिये वारिसान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सही आदेश पारित किया है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।''

उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अपने तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये तथा भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान जारी किया गया पर्चा आदि दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। प्रार्थीगण ने भू प्रबन्ध कार्यवाही संवत 2020 से पूर्व के कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत के रूप में पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण प्रकरण में कोई रिलीफ प्राप्त करने के हकदार है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है। इन समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय में कोई महत्पूर्ण विधिक त्रुटि या अनियमितता पाया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिसके आधार पर इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 16.12.04 व 08.05.97 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेशकुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य